अजय अर्जुन सिंह

बनाम

शारदेन्दु तिवारी और अन्य

(2016 की सिविल अपील संख्या 2697)

15 मार्च, 2016

[जे. चेलामेश्वर और अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधिपतिगण]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951- धारा 83 (1) (सी) परंतुक सपठित आदेश VI नियम 15 (4) सी. पी. सी.- आदेश VII, नियम 11 सी. पी. सी के तहत अंतर्वर्ती आवेदन- चुनाव याचिका में दायर किया गया-इस आधार पर याचिका को खारिज करने की मांग करने वाले लौटे उम्मीदवार द्वारा कि याचिका के साथ दायर किया गया हलफनामा चुनाव संचालन नियम, 1961 के फॉर्म 25 के अनुरूप नहीं था-चुनाव याचिकाकर्ता ने अपने जवाब में उल्लेख किया कि फॉर्म 25 में हलफनामा याचिका के पृष्ठ 394 और 395 पर पाया जाना था और जोर देकर कहा कि उसने याचिका के साथ दो हलफनामे दायर किए थे-उच्च न्यायालय ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता ने फॉर्म-25 में हलफनामा दायर नहीं किया था, लेकिन दोष ठीक करने योग्य था और इसलिए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह फॉर्म 25 में एक हलफनामा दायर करे। चुनाव याचिकाकर्ता ने निर्देशानुसार शपथपत्र दायर किया- उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ लौटे उम्मीदवार की याचिका खारिज कर दी गई थी-इस अदालत में लौटे उम्मीदवार द्वारा दो अपीलें दायर की गई- चुनाव याचिकाकर्ता ने भी इस आदेश को चुनौती देते हुए यह पाते हुए कि फॉर्म 25 में हलफनामा दायर नहीं किया गया था अपील दायर की थी- इस अदालत ने मामले को स्थगित कर दिया ताकि पक्षकारों को स्पष्टीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके कि क्या याचिका के साथ एक या दो

हलफनामे दायर किए गए थे-उच्च न्यायालय में दायर स्पष्टीकरण आदेश के लिए आवेदन दायर किया- उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चुनाव याचिका के साथ दो हलफनामे दायर किए गए थे-लौटे उम्मीदवार ने स्पष्टीकरण आदेश को चुनौती देते हुए इस अदालत में एक और अपील दायर की-इस आधार पर कि आदेश को अधिकार क्षेत्र की कमी का सामना करना पड़ा जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नियम, 2008 के नियम 13 (2) के उल्लंघन में था। माना गया: उच्च न्यायालय के स्पष्टीकरण आदेश को अधिकारिता की कमी से कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा80ए (2) के अनुरूप था- शर्त अंतर्गत नियम 13 (2) शर्त अंतर्गत नियम 80ए (2) के विपरीत है। संविधान के अनुच्छेद 225 (जिसके तहत उच्च न्यायालय के नियम बनाए गए थे) के अनुसार कोई भी नियम उचित विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होगा- यह साबित होता है कि चुनाव याचिका के साथ धारा 83 (1) (ग) के अंतर्गत परंतुक के तहत क़ानून की आवश्यकता के अनुपालन में फॉर्म 25 में एक शपथ पत्र भी था- चुनाव का संचालन नियम, 1961 -प्रपत्र 25- भारत का संविधान- अनुच्छेद 225- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम, 2008- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- आदेश VII, नियम. 11

वापस लौटे उम्मीदवार द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए और चुनाव याचिकाकर्ता की अपील को स्वीकार करते हुए, अदालत ने माना:

1. चुनाव याचिकाएं इस देश के नागरिकों के बुनियादी अधिकारों से संबंधित हैं। चुनाव एक "राजनीतिक रूप से पवित्र" घटना है और एक चुनाव विवाद इतना गंभीर मामला है कि इससे लापरवाही से निपटा नहीं जा सकता है। इसलिए, संसद ने चुनाव विवादों का निर्णय उच्च न्यायालयों को सौंपना उचित समझा। उच्च न्यायालयों ने मामले को लापरवाही से निपटाने का फैसला किया। परिणाम यह निकला कि फॉर्म संख्या 25 में कोई शपथ पत्र नहीं था यह निष्कर्ष हलफनामे के अस्तित्व या अन्यथा

के बारे में कोई निष्कर्ष दर्ज किए बिना दर्ज किया गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे पृष्ठ संख्या394 और 395 में चुनाव याचिका में संलग्न किया गया है और न ही इसकी सामग्री। चूंकि अंतर्वर्ती आवेदन खारिज कर दिया गया था, इसलिए चुनाव याचिकाकर्ता के पास न तो कोई कारण था और न ही आदेश में दर्ज निष्कर्षों की शुद्धता को चुनौती देने की आवश्यकता थी क्योंकि निर्णय उसके पक्ष में है। [पैरा 20] [567-सी-ई]

2.1 लौटे उम्मीदवार के अनुसार, 2015 का आई. ए. संख्या 11665 (उच्च न्यायालय से स्पष्टीकरण मांगना) की सुनवाई मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम, 2008 के नियम 13 (2) में निहित शर्त के कारण एक खंड पीठ द्वारा की जानी चाहिये थी। उक्त नियम में कहा गया है कि कोई भी आवेदन किसी न्यायाधीश, जो इसके बाद सेवानिवृत्त हुए, द्वारा पारित न्यायालय के पूर्व आदेश का स्पष्टीकरण की मांग करने वाले किसी भी आवेदन की सुनवाई एक खंड पीठ द्वारा की जानी चाहिए और जिस न्यायाधीश ने आदेश VII नियम 11 याचिका में आदेश पारित किया था, वह बाद में सेवानिवृत्त हो गए। वापस लौटे उम्मीदवार द्वारा उठाई गई यह प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार्य नहीं है। [पैरा 29 और 31] [570-एफ जी; 571-ए; 572-ए-बी]

2.2 सहित चुनाव याचिकाओं में निर्णय वार्तालाप में सभी आनुषंगिक प्रश्नों की परीक्षा के निर्णय के दौरान उत्पन्न होने वाली कार्यवाहियाँ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80ए द्वारा चुनाव याचिका उस उच्च न्यायालय को सौंपी जाती है जिसके अधिकार क्षेत्र में चुनाव विवाद उत्पन्न होता है। धारा 80ए (2) में कहा गया है कि अधिकारिता का प्रयोग सामान्य रूप से एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा जिसे मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाना है। यद्यपि उक्त धारा इंगित करती है कि मुख्य न्यायाधीश को एक से अधिक न्यायाधीशों वाली पीठ को चुनाव

याचिका की सुनवाई सौंपने का विवेकाधिकार है, लेकिन इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग केवल मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाना है। [पैरा 31] [572-बी-डी]

2.3 उच्च न्यायालय के नियम उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 225 के तहत निहित शक्ति के अनुसार बनाए जाते हैं। इस तरह की शक्ति का प्रयोग संविधान के प्रावधानों और "उपयुक्त विधानमंडल के किसी भी कानून के प्रावधानों" के अधीन है। नियम 13 डिवीजन बेंच के समक्ष कुछ मामलों (जिनकी प्रकृति उसमें वर्णित है) को सूचीबद्ध करने का आदेश देता है। इस तरह की शर्त धारा 80ए (2) की शर्त के विपरीत है कि चुनाव याचिकाओं की सुनवाई उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा की जानी है और यह तय करने का विवेकाधिकार मुख्य न्यायाधीश पर छोड़ दिया जाता है कि किसी दिए गए मामले में, एक चुनाव याचिका की सुनवाई एक से अधिक न्यायाधीश द्वारा की जाएगी या नहीं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में निहित इस तरह के वैधानिक विवेकाधिकार को संविधान द्वारा (अनुच्छेद 225 के प्रारंभिक खंड में) स्पष्ट घोषणा को देखते हुए उच्च न्यायालय के रूप में बनाए गए नियम द्वारा कम नहीं किया जा सकता है कि "कोई भी नियम उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होगा"।[पैरा 31] [572-ई; 573-ए-सी]

3. वापस लौटे उम्मीदवार की याचिका कि उच्च न्यायालय के दिनांकित 29.9.2015 के बाद के और परस्पर विरोधी निष्कर्ष नहीं हैं, क्योंकि प्रारंभिक समय में, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25.8.14 में एक निष्कर्षदर्ज किया था कि चुनाव याचिकाकर्ता ने निर्धारित फॉर्म 25 में हलफनामा दाखिल नहीं किया। यह मामला यदि किसी भी कानूनी सिद्धांत पर आधारित है, तो यह या तो रेस जुडिकाटा के सिद्धांत पर आधारित है या सार्वजनिक नीति के आधार पर इसके अनुरूप कुछ सिद्धांत पर आधारित है जो यह है कि न्यायिक आदेशों की अंतिमता होनी चाहिये। याहन तक कि अगर पुनर्न्याय के सिद्धांत को लागू किया जात है, तो सी.पी.सी. की धारा 2 के तहत

जिस मुद्दे पर रोक लगाई गई है वह एक ऐसे मुद्दे का न्यायनिर्णयन है जो समान पक्षों के बीच एक पूर्व मुकदमे में सीधे और महत्वपूर्ण रूप से मुद्दा था और जिसे सुना गया है और अंत में निर्णय लिया गया है। इसलिए याचिका खारिज कर दी जाती है। [पैरा 35 (1), 37 (i)] [574-सी; 576-ई-एफ]

4. यह सवाल कि क्या चुनाव याचिका के साथ दो शपथपत्र दायर किये गये थे, सीधे तौर पर मुद्दा नहीं था क्योंकि लौटे उम्मीदवार ने कभी भी प्रतुत्तर दाखिल नहीं किया था (चुनाव याचिकाकर्ता के जवाब में जिसमें कहा गया था कि उसने चुनाव याचिका के साथ दो हलफनामे दाखिल किय थे)। आदेश. VII नियम 11 याचिका पर निर्णय लेने में उच्च न्यायालय ने कभी भी इस प्रश्न की जांच नहीं की (यह एक तथ्य का मुद्दा है) क्या दो हलफनामे थे जैसा कि चुनाव याचिकाकर्ता ने उक्त याचिका के अपने जवाब में कहा था। आदेश. VII नियम 11 याचिका में आदेश बहुत आकस्मिक है। यह न तो मुद्दे के तथ्यों पर ध्यान देता है और न ही तय किए जाने वाले बिंदु की पहचान करता है। ऐसी परिस्थितियों में दर्ज तथ्य के किसी भी निष्कर्ष को दरकिनार करने की आवश्यकता होती है यदि पीड़ित पक्ष द्वारा इसके खिलाफ अपील की जाती है यदि ऐसा आदेश एक अपील योग्य आदेश है। चूंकि उच्च न्यायालय ने आदेश. VII नियम 11 याचिका को खारिज कर दिया, हालांकि निष्कर्ष चुनाव याचिकाकर्ता के लिए प्रतिकूल है, इसलिए उसे अपील दायर करने की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 35 (II), 37 (ii)] [574-डी-ई; 576-जी-एच; 577-ए-बी]

5.1 नियम 6 (4) की आवश्यकता का पालन करने में पंजीयक की विफलता को उच्च न्यायालय द्वारा को यह कहते हुए समझाने की मांग की गई है कि ऐसी चूक शायद इसलिए हुई क्योंकि किसी ने भी पृष्ठ संख्या 394-395 में हलफनामे के अस्तित्व के बारे में पंजीयक को नहीं बताया था। नियम 6 (4) चुनाव याचिका के प्रत्येक पृष्ठ पर और चुनाव याचिका के साथ दायर हलफनामे पर भी हस्ताक्षर करने के लिए

पंजीयक पर एक अनिवार्य कर्तव्य निर्धारित करता है। इस तरह के अनिवार्य कर्तव्य का पालन इस तथ्य की परवाह किए बिना किया जाना चाहिए कि कोई हलफनामे के अस्तित्व के बारे में पंजीयक को बताता है या नहीं। हालांकि, पंजीयक द्वारा नियम का पालन न करना चुनाव याचिका के लिए घातक नहीं है क्योंकि यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि न्यायालय के कार्य याचूक से किसी भी दल को नुकसान नहीं होगा। [पैरा 37(सी,डी)) (579-ई.-जी]

5.2 लेकिन जब सवाल यह है कि क्या इस तरह का हलफनामा 20.01.2014 पर चुनाव याचिका के साथ दायर किया गया था, तो अलग विचार उत्पन्न होते हैं। यह सवाल कि क्या चुनाव याचिकाकर्ता ने दूसरा हलफनामा दायर किया है, एक विशुद्ध तथ्य का सवाल है। यदि ऐसा प्रश्न वास्तव में मुद्दे में है तो इस तरह के तथ्य को कानूनी रूप से साबित करने का भार चुनाव याचिकाकर्ता पर है। हालाँकि, इस तरह का प्रश्न आदेश. VII नियम 11 याचिका में कभी भी जारी नहीं किया गया था। [पैरा 37 (ई)] [579-एच; 580-ए-बी]

5.3 आदेश. VII नियम 11 याचिका में लौटे उम्मीदवार की आपत्ति केवल यह थी कि "याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के साथ शपथ लिया गया और दायर किया गया हलफनामा आचरण नियम, 1961 के फॉर्म 25 के अनुरूप नहीं है"। इस प्रकार, वापस लौटे उम्मीदवार की आपत्ति केवल शपथ पत्र के प्रारूप और सामग्री के बारे में है, लेकिन शपथ पत्र दाखिल करने की तारीख के संबंध में नहीं दूसरी ओर, "साथ" अभिव्यक्ति का प्रयोग स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि लौटे उम्मीदवार ने भी उस समय स्वीकार कर लिया था कि पृष्ठ संख्या 394-395 में शपथ पत्र उसी तारीख अर्थात 20.1.2014 को प्रस्तुत किया गया था । इसलिए, इस तथ्य के प्रमाण का सवाल जो कभी जारी नहीं हुआ था, सबूत के बोझ से बहुत कम नहीं है। [पैरा 39] [580-एफ-जी]

6. यह तथ्य है कि चुनाव याचिकाकर्ता ने अभी तक दिनांकित 25.8.2014 आदेश के अनुसार एक अन्य हलफनामा दाखिल करने का विकल्प चुना है एक अन्य परिस्थिति है जिस पर लौटने वाले उम्मीदवार द्वारा उनके इस कथन के समर्थन में भरोसा करने की मांग की गई है कि चुनाव याचिका के साथ कोई दूसरा हलफनामा दायर नहीं किया गया था। हाथ पर विवाद एक ऐसे तथ्य के अस्तित्व के बारे में है जो आदेश. VII नियम 11 याचिका में कभी जारी नहीं किया गया था। लौटा हुआ उम्मीदवार अपने मामले को एक मंच से दूसरे मंच पर स्थानांतरित नहीं कर सकता है। अब उन्हें एक उचित अभिवचन के अभाव में तथ्य का ऐसा सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और तर्क दिया जा सकता है कि चुनाव याचिकाकर्ता को यह तर्क देने से रोका गया है कि उन्होंने विबंधन का प्रयोग करते हुए चुनाव याचिका के साथ दूसरा हलफनामा दायर किया था। [पारस 40,43] [580 581-ए, एफ-जी]

पंजाब राज्य और अन्य बनाम कृष्ण निवास 1997 (2) एससीआर 1135: (1997) 9 एस. सी. सी. 31; बांकु चंद्र बोस और एक अन्य बनाम मरियम बेगम और एक अन्य, ए. आई. आर. 1917 कल. 546- अप्रयोज्य रखा गया।

पी. ए. मोहम्मद रियास बनाम एम. के. राघवन और अन्य 2012 (4) एससीआर 56: (2012) 5 एससीसी 511; जीएम सिद्धेश्वर बनाम प्रसन्ना कुमार 2013 (4) एससीआर 1107: (2013) 4 एससीसी 776 ; हरजिंदर सिंह बनाम। परमजीत सिंह (2013) 9 एससीसी 261 : 2013 (1) एस. सी. आर. 903-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

2012 (4) एससीआर 56	संदर्भित किया गया	पैरा 17
2013 (4) एससीआर 1107	संदर्भित किया गया	पैरा 18
2013 (1) एससीआर 903	संदर्भित किया गया	पैरा 37 (iii)

1997 (2) एससीआर 1135	अप्रयोज्य रखा गया	पैरा 42
ए. आई. आर. 1917 कैल. 546	अप्रयोज्य रखा गया	पैरा 42

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील सं. 2697/2016

2014 की निर्वाचन याचिका संख्या 1 में 2014 की आई. ए. संख्या 43 में उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश की प्रधान सीट के 25.08.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

के साथ

2016 का सी. ए. सं. 2699 , 2700 और 2701

पी. पी. राव, सलमान खुर्शीद, नमन नागरथ सीनियर एडवो. , नवीन प्रकाश, अंशुमन श्रीवास्तव, पुलकित तारे, सुश्री मीतू सिंह, स्वर्णेंदु चटर्जी, विक्रमादित्य सिंह, सुश्री अनन्या सरकार, एम. पी. श्रीविग्नेश, विकास उपाध्याय, प्रकाश उपाध्याय, नितिन गौर, कौस्तुभ अंशुराज, इशित सहरिया, अधिवक्ता उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

चेलामेश्वर, न्यायाधिपति

1. अनुमति दी गई।

2. वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए आम चुनाव हुए थे। 8.12.2013 को, एक श्री अजय अर्जुन सिंह (इसके बाद वापसी उम्मीदवार के रूप में संदर्भित) को उक्त चुनाव में 76 चुरहाट विधानसभा क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया। 20 जनवरी, 2014 को उक्त अजय अर्जुन सिंह की घोषणा को चुनौती देते हुए, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से एक शरदेन्दु तिवारी

(इसके बाद 'निर्वाचन याचिकाकर्ता'के रूप में संदर्भित) ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष 2014 की निर्वाचन याचिका संख्या 1 दायर की।

3. वापस आए उम्मीदवार के चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी गई कि लौटाया गया उम्मीदवार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(इसके बाद 'आर. पी. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 123 की उप-धारा (1) और (6) के तहत आने वाली दो भ्रष्ट कार्यों, अर्थात (1) धर्म और रिश्वत के नाम पर मतदाताओं से अपील करना; और (2) आर. पी. अधिनियम की धारा 77 के उल्लंघन में होने वाला व्यय का दोषी है।

4. चुनाव याचिका में10 फरवरी, 2014 को उत्तरदाताओं को नोटिस देने का आदेश दिया गया था। वापसी उम्मीदवार को 18.6.2014 पर उक्त नोटिस दिया गया था। स्वीकार्य रूप से, चुनाव याचिका और उसके सभी अनुलग्नक 18.6.2014 को अदालत में अपनी उपस्थिति पर वापसी उम्मीदवार को दिए गए थे।

5.1 जुलाई, 2014 को वापसी उम्मीदवार ने सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 (इसके बाद "आदेश VII नियम 11 याचिका" के रूप में संदर्भित) को लागू करते हुए 2014 का आई. ए. यह प्रार्थना करते हुए दाखिल किया किया है कि चुनाव याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया जाए कि यह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है। उक्त याचिका को उच्च न्यायालय के दिनांक 25.8.2014 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। आदेश VII नियम 11 याचिका याचिका खारिज किए जाने से व्यथित होकर, वापसी उम्मीदवार ने समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया (आई. ए. संख्या 13575/2015- जिसे इसके बाद "समीक्षा याचिका" के रूप में संदर्भित किया गया है), जिसे भी उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 18.3.2015 आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

6. इसलिए, वापस आए उम्मीदवार ने 25.8.2014 और 18.3.2015 दिनांकित आदेशों से व्यथित होकर क्रमशः एसएलपी संख्या 33933/2014 और संख्या 11096/2015 दाखिल किए।

7. पुनरीक्षण याचिका में दिनांक 18.3.2015 के आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए कुछ निष्कर्षों (जिनके विवरण पर बाद में विचार किया जाएगा) से व्यथित होकर, निर्वाचन याचिकाकर्ता ने एसएलपी संख्या 15361/2015 दायर की।

8. विभिन्न विवादित आदेशों की शुद्धता का निर्णय करने के लिए, उच्च न्यायालय के विचार के लिए आने वाले मुद्दों की जांच आवश्यकता है।

9. वापसी उम्मीदवार द्वारा दायर आदेश VII नियम 11 याचिका में प्रार्थना इस प्रकार हैः

"इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान चुनाव याचिका को खारिज कर दिया जाए।

(i) आदेश VII नियम 11 याचिका का पैरा 8 इस प्रकार हैः

"कि, उपरोक्त के अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के साथ शपथ लिया गया और दायर किया गया हलफनामा चुनाव आचरण नियम, 1961 के फॉर्म 25 के अनुरूप नहीं है। भ्रष्ट प्रथा का नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया है जो कि फॉर्म संख्या 25 के तहत निर्धारित हलफनामे में विशेष रूप से कहा जाना आवश्यक है। जो शपथ पत्र याचिकाकर्ता ने इस प्रकार दायर किया है दोषपूर्ण है और इसलिए, याचिका बर्खास्त किए जाने के योग्य है।"

(ii) उक्त याचिका के पैरा 13 में कहा गया है:

"कि, उपरोक्त कारणों से, वर्तमान चुनाव याचिका खारिज होने योग्य है क्योंकि कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करती है"।

लिपिकीय त्रुटियों को कुछ छूट देते हुए, हम मानते हैं कि वापस आए उम्मीदवार ने अनुरोध किया कि चुनाव याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया जाये कि यह कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करती है।

दूसरे शब्दों में, वापस आए उम्मीदवार ने प्रार्थना की कि चुनाव याचिका दो कारणों से खारिज की जाएः

(i) कि चुनाव याचिका के साथ दायर किया गया हलफनामा चुनाव संचालन नियम 1961 के फॉर्म 25 के अनुरूप नहीं है,; और

(ii) कि चुनाव याचिका कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करती है, ये दो अलग-अलग आधार हैं।

10. उक्त आवेदन (आदेश VII नियम 11 याचिका) के जवाब में, चुनाव याचिकाकर्ता ने दिनांक 11.07.2014 पर एक जवाब दायर किया। इसके पैरा 6 में इस प्रकार यह कहा गया है:

> "6. यह कि, तीसरी आपत्ति जो प्रत्यर्थी नं। 1 / वापस लौटे उम्मीदवार ने चुनाव संचालन नियम 1961 के फॉर्म 25 की असंगति के बारे में हलफनामा दाखिल न करने के संबंध में उठायी है। याचिकाकर्ता ने उक्त हलफनामा चुनाव याचिका के साथ दाखिल किया है जो चुनाव याचिका के पृष्ठ सं. 394 और 395 पर संलग्न है और चुनाव याचिका के साथ दायर सूचकांक में संख्या 57 ए में जिसका भी उल्लेख पाया गया। चूंकि याचिकाकर्ता ने भी चुनाव याचिका के समर्थन में हलफनामा दायर किया है और निर्धारित प्रारूप में हलफनामा भी दाखिल किया है, अतः इस संबंध में कोई दोष नहीं है। हालाँकि, याचिकाकर्ता सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता है कि याचिका और

हलफनामा उचित क्रम में है, लेकिन यदि अदालत की राय में कोई दोष है, तो चुनाव याचिकाकर्ता इसका इलाज करने के लिए तैयार है।"

11. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि चुनाव याचिकाकर्ता ने फॉर्म 25 में एक हलफनामा दाखिल करने के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है जो चुनाव याचिका के पृष्ठ संख्या 394 और 395 में पाया जाना है। और चुनाव याचिका के सूचकांक में क्रम संख्या 57- ए में भी उल्लिखित है। हालांकि बहुत सुंदर तरीके से अनुरोध नहीं किया गया था, लेकिन चुनाव याचिकाकर्ता ने इस तथ्य पर जोर दिया कि उन्होंने चुनाव याचिका 2 के साथ दो हलफनामे दायर किए थे।

12. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि चुनाव याचिकाकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि "यदि अदालत की राय में कोई दोष है, तो चुनाव याचिकाकर्ता इसका इलाज करने के लिए तैयार है"। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा बयान उस स्थिति में यदि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि चुनाव के साथ निर्वाचन याचिकाकर्ता द्वारा दायर हलफनामा याचिका वास्तव में कानून की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है तब चुनाव याचिका को धारा 83 (1) के प्रावधान का पालन न करने के आधार पर खारिज होने से बचाने के लिए बहुत सावधानी के साथ दिया गया है,।

13. उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 25.8.2014 के आदेश द्वारा आदेश VII नियम 11 याचिका को खारिज करते हुए दर्ज कियाः

"तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता ने चुनाव निर्वाचन नियम, 1961 के नियम 94-ए के अनुसार निर्धारित प्रपत्र 25 में शपथ पत्र दाखिल नहीं किया है। चूँकि उपरोक्त दोष ठीक किया जा सकता है, वह निर्धारित प्रपत्र 25 में शपथ पत्र दाखिल करके ठीक किया जा सकता है।"

उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दियाः

"याचिकाकर्ता को आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर फॉर्म 25 में शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया जाता है।"

इस आदेश के अनुसार, स्वीकार्य रूप से 31.08.2014 को चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया था।

14. इन अपीलों में विवाद को समझने के लिए, आर. पी. अधिनियम के प्रावधानों के एक विश्लेषण की आवश्यकता है। आरपी अधिनियम की धारा 83 यह निर्धारित करती है कि चुनाव याचिका में क्या शामिल करने की आवश्यकता है। धारा 83 (1) (सी) प्रत्येक चुनाव याचिका को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्धारित तरीके से सत्यापित करने की अपेक्षा करती है। संहिता का आदेश VI नियम 15 अभिवचनों के सत्यापन से संबंधित है। उप-नियम 4 में कहा गया है कि अभिवचनों का सत्यापन करने वाला व्यक्ति भी ऐसे अभिवचनों के समर्थन में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

15. चुनाव की वैधता को चुनौती देने वाली एक चुनाव याचिका आर. पी. अधिनियम की धारा 100 के तहत निर्दिष्ट विभिन्न आधारों में से किसी एक पर दायर की जा सकती है। वापस लौटे उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा या उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भ्रष्ट आचरण का लौटने वाले उम्मीदवार या उसके एजेंट की सहमति उन कई आधारों में से एक है, जिन पर उच्च न्यायालय वापसी उम्मीदवार का परिणाम शून्य घोषित कर सकता है। एक लौटे उम्मीदवार के चुनाव को "अपने चुनाव एजेंट के अलावा किसी अन्य एजेंट द्वारा लौटे उम्मीदवार के हित में" भ्रष्ट आचरण के आधार पर भी अलग रखा जा सकता है और इस तरह के भ्रष्ट अभ्यास के आधार पर "चुनाव का परिणाम, जहां तक एक लौटे उम्मीदवार का संबंध है, भौतिक रूप से

प्रभावित हुआ है"। दोनों ही मामलों में, आर. पी. अधिनियम की धारा 83 (1) के प्रावधान में निहित शर्त को देखते हुए, चुनाव याचिका के साथ निर्धारित प्रपत्र में एक शपथ पत्र होना आवश्यक है।

16. आर. पी. अधिनियम की धारा 169 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (चुनाव और चुनाव याचिकाओं का संचालन) नियम, 1956 बनाए गए हैं। नियम 94 ए निम्नलिखित रूप में निर्धारित करता हैः

"नियम 94 ए. चुनाव याचिका के साथ दाखिल किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रपत्र धारा 83 की उप-धारा (1) के परंतुक में निर्दिष्ट शपथ पत्र को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या नोटरी या शपथ आयुक्त के समक्ष शपथ दिलाई जाएगी और यह फॉर्म 25 में होगा।"

प्रपत्र 25 शपथपत्र के लेआउट को भी इंगित करता है। इस तरह का शपथ पत्र देने के लिए आवश्यकता, जहां एक चुनाव याचिका में भ्रष्ट आचरण कारित करने के आरोप हैं, को वर्ष 1962 में एक संशोधन के कारण अधिनियम में जोड़ा गया।

17. यह प्रश्न कि आदेश VI के नियम 15 के खंड (4) के सम्मिलन का दृष्टिकोण में एक भ्रष्ट आचरण के आधार पर एक लौटे हुए उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को एक शपथ पत्र या दो शपथ पत्र के साथ होना आवश्यक है, पी. ए. मोहम्मद रियास बनाम म के राघवन और अन्य, (2012) 5 एस. सी. सी. 511 में इस न्यायालय के विचार के लिए आया और इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः

> "45 ..... हम श्री वेणुगोपाल की इस दलील को भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि ऐसे मामले में भी जहां धारा 83 (1) का परंतुक आकर्षित किया गया था, एक ही हलफनामा दोनों प्रावधानों की आवश्यकताएँ पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।"

18. इसके बाद, वही सवाल जी. एम. सिद्धेश्वर बनाम. प्रसन्न कुमार, (2013) 4 एस. सी. सी. 776 में इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ के समक्ष फिर से विचार के लिए आया। अदालत ने मोहम्मद रियास मामले में लिए गए दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया और कहाः

> "1. ..... हमारे विचार के लिए उठाए गए कानून का प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या, एक चुनाव याचिका को बनाए रखने के लिए, एक चुनाव याचिकाकर्ता के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 6 नियम 15 (4) के संदर्भ में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 83 (1) के प्रावधान द्वारा आवश्यक एक शपथ पत्र (ऐसे मामले में जहां लौटे उम्मीदवार के खिलाफ भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया है) के अलावा चुनाव याचिका में किए गए कथन के समर्थन में एक हलफनामा दायर करना अनिवार्य है। हमारी राय में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ऐसा कोई आदेश नहीं है, और पी. ए. मोहम्मद रियास बनाम एम. के. राघवन का पठन, जो इसके विपरीत सुझाव देते हैं, इस सीमित सीमा तक सही कानून निर्धारित नहीं करता है।
>
> 30. किसी भी स्थिति में, जैसा कि वर्तमान मामले में है, चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा एक समग्र शपथ पत्र दाखिल करके वापस लौटे उम्मीदवार द्वारा चुनाव याचिका में किए गए कथनों के समर्थन में और भ्रष्ट आचरण के आरोपों के संबंध में वही परिणाम प्राप्त किया गया है। यह प्रक्रिया कानून के विपरीत नहीं है और इसमें गलती नहीं की जा सकती है। इस तरह का समग्र शपथ पत्र न केवल अधिनियम की आवश्यकताओं के पर्याप्त अनुपालन में होगा, बल्कि वास्तव में इसका पूर्ण अनुपालन भी होगा। अधिनियम द्वारा दो शपथ पत्र दाखिल

करने की आवश्यकता नहीं है और न ही यह आवश्यक है, विशेष रूप से जब एक समग्र शपथ पत्र वांछित परिणाम प्राप्त कर सकता है।"

19. अपीलों के इस समूह में इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह है कि क्या चुनाव याचिका के साथ एक हलफनामा था जो धारा 83 (1) (ग) के परंतुक के तहत क़ानून की आवश्यकता के साथ अनुपालन योग्य है।। इस मुद्दे का जवाब देने के लिए, संयोग से यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या लौते हुए उम्मीदवार ने चुनाव याचिका के साथ क़ानून की आवश्यकता को पूरा करने के लिये दो हलफनामे दायर किये थे।

20. दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने इस सवाल की जांच नहीं की, जब उसने 25.08.2014 या 18.03.2015 दिनांकित आदेश पारित किए, तो यह प्रश्न कि क्या निर्वाचन याचिकाकर्ता द्वारा निर्वाचन याचिका के साथ दायर किए गए दो शपथ पत्र थे और क्या निर्वाचन याचिका के साथ पृष्ठ संख्या 394-395 में संलग्न किया गया कथित शपथ पत्र था धारा 83 (1) के प्रावधान के तहत शर्तों की आवश्यकता के अनुरूप है। 25.08.2014 दिनांकित आदेश के पैरा 5 पर, उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिलिखित कियाः

"5.जहाँ तक सत्यापन के संबंध में विवाद या हलफनामे का संबंध है, यह जीएम सिद्धेश्वर बनाम. प्रसन्ना कुमार, ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 1549 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि प्रारूप शपथ पत्र का पूर्ण अनुपालन आवश्यक नहीं है।

हमें यह नोट करने के लिए खेद है कि पैरा एक अनाड़ी बयान के साथ शुरू होता है "जहां तक सत्यापन के संबंध में विवाद या हलफनामा "और जी. एम. सिद्धेश्वर मामला (ऊपर) के लिए एक

अप्रासंगिक संदर्भ देता है और अंततः बिना किसी अभिवचन या साक्ष्य की चर्चा के एक निष्कर्ष दर्ज करता है कि निर्वाचन याचिकाकर्ता ने प्रपत्र-25 में शपथ पत्र दाखिल नहीं किया है। हालाँकि इसका आदेश दिनांकित आदेश 25.08.2014: के पैरा 6 में दिया गया था। निर्धारित प्रारूप के साथ पर्याप्त अनुपालन पर्याप्त है। यदि शपथपत्र या उसके सत्यापन में कोई दोष है, तो वह ठीक किया जा सकता है और वह याचिका को सीमित रूप से खारिज करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है। तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता ने चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 94-ए के अनुसार निर्धारित प्रपत्र 25 में शपथ पत्र दाखिल नहीं किया। चूँकि उपरोक्त दोष ठीक किया जा सकता है, इसलिए ऐसा निर्धारित प्रपत्र 25 में शपथ पत्र दाखिल करके ठीक किया जा सकता है।

"मुझे सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 के तहत याचिका को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं मिलता है। तदनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर आई. ए. संख्या 43/2014 को एतद द्वारा खारिज कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर चुनाव संचालन नियम, 1961 के फॉर्म 25 में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर लिखित बयान दाखिल करने का भी निर्देश दिया जाता है।"

यह न्यायिक कार्यवाही में किसी भी मुद्दे से निपटने का पूरी तरह से असंतोषजनक तरीका है और विशेष रूप से चुनाव याचिकाओं के साथ। चुनाव याचिकाएं

इस देश के नागरिकों के बुनियादी अधिकारों से संबंधित हैं। चुनाव एक "राजनीतिक रूप से पवित्र" घटना है और एक चुनाव विवाद इतना गंभीर मामला है कि इससे लापरवाही से निपटा नहीं जा सकता है। इसलिए, संसद ने चुनाव विवादों का निर्णय उच्च न्यायालयों को सौंपना उचित समझा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विद्वान न्यायाधीश ने इस मामले से आकस्मिक रूप से निपटने का फैसला किया। परिणाम यह हुआ कि फॉर्म संख्या 25 में कोई हलफनामा नहीं होने के बारे में कोई निष्कर्ष दर्ज किए बिना शपथपत्र का अस्तित्व या अन्यथा दर्ज किया गया और न ही इसका संदर्भ जिसे चुनाव याचिका में पृष्ठ संख्या 394 और 395 में संलग्न कहा गया है । चूंकि अंतर्वर्ती प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया था, तो याचिकाकर्ता के पास आदेश में दर्ज निष्कर्षों की शुद्धता को चुनौती देने का न तो कोई कारण था और न ही कोई आवश्यकता थी क्योंकि निर्णय उनके पक्ष में है।

21. उक्त आदेश से व्यथित, लौटे हुए उम्मीदवार ने उक्त आदेश की समीक्षा के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की। आवेदन दिनांक 25.08.2014 के आदेश में दर्ज निष्कर्ष पर टिका हुआ था कि-

> "याचिकाकर्ता ने निर्धारित प्रपत्र संख्या 25 में शपथ पत्र दाखिल नहीं किया है।"

इसलिए, समीक्षा याचिका में यह अनुरोध किया गया है कि उच्च न्यायालय के निर्देश में निर्वाचन याचिका चुनाव याचिका के साथ दायर हलफनामा के दोष को ठीक करने की अनुमति अस्थिर है और इसलिए 25.08.2014 दिनांकित आदेश की समीक्षा की जानी है। दिलचस्प बात यह है कि उक्त पुनरीक्षण याचिका में निर्वाचन याचिकाकर्ता के दिनांक दिनांक 24.12.2014 के जवाब के लिए प्रत्यावर्तित उम्मीदवार द्वारा दाखिल दिनांक 8.11.2014 के प्रत्युत्तर में, प्रत्यावर्तित उम्मीदवार ने निम्नानुसार कहाः

"पैरा 4. यह कि, याचिका में किए गए कथनों को याचिकाकर्ता द्वारा सत्यापन खंड के अनुसार सत्यापित किया गया था; याचिका के समर्थन में एक हलफनामा प्रस्तुत किया और फॉर्म 25 के तहत एक और हलफनामा चुनाव याचिका के पृष्ठ 394 और 395 पर और तीसरा हलफनामा दिनांक 31.8.2014 को माननीय न्यायालय के आदेश दिनांकित 25.8.2014 के अनुसार दायर किया।"

22. लौते हुए उम्मीदवार के उपरोक्त निवेदन से यह स्पष्ट है कि वह इस तथ्य से स्पष्ट रूप से अवगत है कि चुनाव याचिका के साथ दो हलफनामे दायर किए गए थे जैसा कि चुनाव याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था। उक्त समीक्षा आवेदन को 18.03.2015 दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उसी से व्यथित, वापसी उम्मीदवार ने 2015 का एसएलपी संख्या 11096 दाखिल की।

23. 18.03.2015 दिनांकित आदेश को समझना मुश्किल है। पहले बुनियादी तथ्यों का निपटारा किए बिना और मुद्दों की पहचान किए बिना सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न प्राधिकारों की एक अनावश्यक परीक्षा थी। उच्च न्यायालय ने एक शपथ पत्र की सामग्री को निकाला जो चुनाव याचिकाकर्ता के अनुसार धारा 83 (1) (सी) की आवश्यकता के अनुपालन में प्रपत्र 25 में दायर एक शपथ पत्र है, लेकिन शपथ पत्र नहीं और पैरा 6 में एक निष्कर्ष निम्नलिखित रूप में दर्ज किया गया हैः

"6. याचिकाकर्ता द्वारा दायर पहले के हलफनामे को सरसरी तौर पर पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता ने अपने हलफनामे में सभी दलीलों को शामिल किया था और कोई भी अभिवचन नहीं बचा था जिसका हलफनामे में उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन जो कमी थी वह यह थी कि पहले का हलफनामा 1961 के नियमों के नियम

94-ए के निर्धारित प्रपत्र संख्या 25 में नहीं था। निश्चित रूप से 1951 के अधिनियम की धारा 83 (1) के प्रावधान का पालन नहीं किया गया था, लेकिन 1951 के अधिनियम की धारा 83 (1) 1951 के अधिनियम की धारा 86 के तहत शामिल नहीं है।"

दिलचस्प बात यह है कि पैरा 9 में, एक बार फिर उच्च न्यायालय ने एक निष्कर्ष निकाला:

"9. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तत्काल मामले में 1951 के अधिनियम की धारा 81 (3) का पर्याप्त अनुपालन याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के साथ पहला हलफनामा दाखिल करके पहले ही किया जा चुका है, लेकिन केवल दोष यह था कि हलफनामा निर्धारित प्रारूप में नहीं था, इसलिए, अधिक से अधिक यह 1951 के अधिनियम की धारा 83 (1) का गैर-अनुपालन था और उसी का इलाज किया जा सकता है।"

दिनांकित 18.03.2015 क्रम में दर्ज गुप्त निष्कर्ष केवल मौजूदा भ्रम को बढ़ाते हैं।

24. हालांकि, इस निष्कर्ष से व्यथित कि शपथ पत्र "निर्धारित प्रपत्र-25 में नहीं था", चुनाव याचिकाकर्ता ने 2015 की एस. एल. पी. संख्या 15361 को इस आधार पर दायर की कि इस तरह का निष्कर्ष शपथ पत्र की गलत पहचान पर दर्ज किया गया। पुनरीक्षण याचिका खारिज किए जाने से व्यथित होकर लौटे हुए उम्मीदवार ने 2015 की एस. एल. पी. संख्या 11096 दाखिल की।

25. जब इस न्यायालय के समक्ष 20.08.2015 पर अपीलों पर बहस की गई, तो चुनाव याचिकाकर्ता ने एक निवेदन किया कि चुनाव याचिका के साथ दो अलग-

अलग हलफनामे दायर किए गए थे और उच्च न्यायालय की टिप्पणी (ऊपर) हलफनामे की गलत पहचान पर आधारित है। वापसी उम्मीदवार ने यह रुख अपनाया कि कोई दूसरा हलफनामा नहीं था जैसा कि चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा चुनाव याचिका के साथ दायर आर. पी. अधिनियम की धारा 83 (1) के प्रावधान का अनुपालन का आरोप लगाया गया था।

26. उच्च न्यायालय द्वारा अभिलेख पर अभिवचन या साक्ष्य और पक्षकारों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष लिए गए विरोधाभासी रुख के किसी भी संदर्भ के बिना अभिलिखित उपर्युक्त अस्पष्ट निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने मामले को स्थगित करना उचित समझा ताकि पक्षकार तथ्यों की सही स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकें कि क्या चुनाव याचिका के साथ एक या दो हलफनामे दायर किए गए थे।

27. उक्त आदेश के अनुसार, चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से स्पष्टीकरण मांगने के लिए आई. ए. संख्या 11665/2015 दायर किया गया। उक्त आई. ए. का निपटान दिनांक 29.9.20157 के एक आदेश द्वारा किया गया था।

उच्च न्यायालय ने अभिलिखित किया;

> "37. उपरोक्त चर्चा के आधार पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 20-08-2015 द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित तरीके से दिया जाता हैः
>
> प्रश्न संख्या 1: क्या चुनाव याचिका के साथ एक शपथ पत्र दाखिल क्या गया था या दो शपथ पत्र?
>
> जवाबः दोनों हलफनामे चुनाव याचिका के साथ दायर किए गए थे।

प्रश्न संख्या 2: वास्तविक तिथि जब दोनो शपथपत्र दायर किये गये थे?

जवाबः दोनों हलफनामे 20-01-2014 को दायर किए गए थे , जिस तारीख को चुनाव याचिका दायर की गई थी।

प्रश्न संख्या 3: क्या दोनों में से कोई भी शपथ पत्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 83 (1) (सी) की आवश्यकता के अनुपालन में दायर किया गया है?

जवाबः निर्वाचन याचिका के पृष्ठ संख्या 394 & 395 में शपथ पत्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 83 (1) (सी) के साथ जोड़ा गया परंतुक की आवश्यकता के अनुपालन में दायर किया गया था।

38. आई. ए. नं. 11665/2015 का निपटान तदनुसार किया जाता है।"

28. उक्त आदेश वापसी उम्मीदवार द्वारा दायर एसएलपी सं. 31051/2015 में चुनौती का विषय है। उन विभिन्न आधारों के अलावा जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की शुद्धता को चुनौती दी गई है, रिटर्न्ड कैंडिडेट ने प्रारंभिक आपत्ति जताई कि 29.9.2015 दिनांकित आदेश में अधिकारिता की कमी है और इसलिए, इसे केवल उसी आधार पर अलग रखा जाना आवश्यक है।

29. वापसी उम्मीदवार के अनुसार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम, 2008 के नियम 13 (2) में निहित शर्त के कारण आई. ए. न. 11665/2015 की सुनवाई एक खंड पीठ द्वारा की जानी चाहिए थी। उक्त नियम में कहा गया है कि एक विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित न्यायालय के पूर्व आदेश का स्पष्टीकरण के किसी भी आवेदन,

जो इसके बाद सेवानिवृत्त हुए, की सुनवाई एक खंड पीठ द्वारा की जानी चाहिए और न्यायमूर्ति सोलंकी जिन्होंने आदेश VII नियम 11 याचिका में आदेश पारित किया, बाद में सेवानिवृत्त हुए।

30. जवाब में, यह चुनाव याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किया जाता है किः

(i) इस तरह की आपत्ति उच्च न्यायालय के समक्ष जब 2015 की आई. ए. न..11665 की सुनवाई की जा रही थी तब वापसी उम्मीदवार द्वारा कभी नहीं उठाई गई थी और इसलिए अब इसे उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है;

ii) यह कि, एक चुनाव याचिका का निर्णय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86 के साथ पठित धारा 81ए द्वारा शासित होता है। अनुच्छेद 225 के तहत बनाए गए उच्च न्यायालय के नियमों का गैर-अनुपालन, यदि कोई हो, आदेश को अधिकार क्षेत्र हीन नही बनाता है।

iii) यह कि, 2015 का आई. ए. न. 11665 "अभिलेख के स्पष्टीकरण के बारे में अधिक है, न कि सख्त अर्थों में आदेश के स्पष्टीकरण के बारे में"।

दूसरे शब्दों में, मांगा गया स्पष्टीकरण न तो पहले के आदेशों की व्याख्या या पहले के आदेशों के कानूनी निहितार्थ के बारे में है, बल्कि चुनाव याचिका से संबंधित कुछ तथ्यों और उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड की जांच के बारे में है। इसलिए नियम 13 लागू नहीं होगा।

(iv) यह कि, नियम 13 (1) (बी) के तहत एक खंड पीठ द्वारा सुनवाई किए जाने वाले मामले की आवश्यकता केवल समीक्षा, स्पष्टीकरण, फरमान और अंतिम आदेश या केवल निर्णयों के संशोधन के मामलों तक सीमित है, लेकिन अंतर्वर्ती आदेशों के लिए नहीं जैसे कि आदेश जिसका "स्पष्टीकरण" मांगा गया था।

31. हम वापसी उम्मीदवार द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को अस्वीकार करते हैं। इसका कारणः

अंतर्वर्ती कार्यवाहियों में चुनाव याचिका के निर्णय के दौरान उत्पन्न होने वाले सभी आकस्मिक प्रश्नों की परीक्षा सहित चुनाव याचिकाओं का निर्णय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80ए द्वारा चुनाव याचिका के निर्णय का कार्य उच्च न्यायालय को सौंपा गया है जिसके अधिकार क्षेत्र में चुनाव विवाद उत्पन्न होता है। धारा 80ए (2) में कहा गया है कि अधिकारिता का प्रयोग सामान्य रूप से एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा जिसे मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाना है।

(क) यद्यपि उक्त धारा इंगित करती है कि मुख्य न्यायाधीश के पास एक से अधिक न्यायाधीशों वाली पीठ को चुनाव याचिका की सुनवाई सौंपने का विवेकाधिकार है, ऐसा विवेकाधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयोग किया जाएगा।

(ख) उच्च न्यायालय के नियम उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 225 के तहत इसमें निहित शक्ति के अनुसार बनाए जाते हैं। ऐसी शक्ति का प्रयोग संविधान के प्रावधानों और विधायिका के किसी भी कानून के प्रावधान के अधीन है।

> "नियम 13 कुछ मामलों (जिनकी प्रकृति उसमे वर्णित है) को एक डिवीजन बैच के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश देता है। ऐसी शर्त धारा 80ए(2) की शर्त के विपरीत है कि चुनाव याचिकाओं की सुनवाई एकल न्यायाधीश द्वारा की जानी है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर यह निर्णय लेने का विवेक छोडता है कि किसी दिये गये मामले में, एक चुनाव याचिका की सुनवाई एक से अधिक न्यायाधीशों द्वारा की जायेगी या नहीं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में निहित इस तरह के वैधानिक विवेक को सनविधान

(अनुच्छेद 225 के शुरूआती खंड)की इस स्पष्ट घोषणा के संदर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा बनाये किसी नियम द्वारा कम नहीं किया जा सकता है कि "कोई भी नियम उपयुक्त विधायिका द्वारा गये कानून के अधीन होगा"

इसलिए, हमारी राय है कि वापसी उम्मीदवार द्वारा उठाई गई आपत्ति मान्य नहीं है। उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, हम इस संबंध में चुनाव याचिकाकर्ता के अन्य बचावों की जांच नहीं करना चाहते हैं।

32. अब हम अपीलों की उनके गुण-दोष पर जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इन अपीलों का भाग्य अंततः सवाल के जवाब पर निर्भर करेगा –

क्या चुनाव याचिकाकर्ता ने 20.01.2014 को चुनाव याचिका प्रस्तुत करते समय दो शपथ पत्र दाखिल किए हैं, जिनमें से दूसरा शपथ पत्र (पृष्ठ संख्या 394-395 में है) कथित रूप से धारा 83 (1) के परंतुक से कानून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए फॉर्म 25 में चुनाव याचिका के साथ संलग्न सूचकांक का क्रम न. 57ए उल्लेख किया गया है ; और यदि वास्तव में ने 20.01.2014 को ऐसा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था जैसा कि चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा तर्क दिया गया है तो क्या ऐसा शपथ पत्र प्रपत्र 25 में निहित प्रिस्क्रिप्शन को संतुष्ट करता है।

33. 2015 के आई. ए. न. 11665 में दिनांकित 29.09.2015 आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि चुनाव याचिकाकर्ता ने दिनांक 20.01.2014(वह दिनांक जिस दिन चुनाव याचिका उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी।) को चुनाव याचिका के साथ शपथ पत्र दायर किये थे की थीं। अदालत ने एक निष्कर्ष भी दर्ज

किया कि हलफनामा पृष्ठ संख्या 394-395 में चुनाव याचिका जिसका सूचकांक में क्रम No.57A में उल्लेख मिलता है, "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 83 (1) (सी) से जुड़े परंतुक की आवश्यकता के अनुपालन में है।"

34. यदि उपर्युक्त दो निष्कर्ष कानूनी रूप से मान्य हैं, तो तीन वापसी उम्मीदवार द्वारा दायर अपीलों (2014 की 33933, 2015 की 11096 और 2015 की एसएलपी 31051 से उत्पन्न) को खारिज किया जाना है और निर्वाचन याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील (2015 के एस. एल. पी. No.15361 से उत्पन्न) को अनुमति देनी होगी। इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए उपर्युक्त निष्कर्षों की शुद्धता की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

35. उक्त निष्कर्षों की शुद्धता को वापसी उम्मीदवार द्वारा निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी गई हैः

I. कि जल्द से जल्द, उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 25.08.2014 के आदेश में एक निष्कर्ष दर्ज किया कि निर्वाचन याचिकाकर्ता ने निर्धारित प्रपत्र 25 में शपथ पत्र दाखिल नहीं किया था। इसलिए, उच्च न्यायालय दिनांकित 29.09.2015 विपरीत के क्रम में निष्कर्ष अस्थिर है।

II. दिनांकित 25.08.2014 आदेश में, एक निष्कर्ष दर्ज करने के बाद कि निर्वाचन याचिकाकर्ता ने प्रपत्र 25 में शपथ पत्र दाखिल नहीं किया, उच्च न्यायालय ने एक और निष्कर्ष दर्ज किया कि ऐसा दोष इलाज योग्य है और इसलिए, चुनाव याचिकाकर्ता को फॉर्म 25 में एक नया हलफनामा दाखिल करके दोष को ठीक करने के लिए निर्देशित किया गया है। चुनाव याचिकाकर्ता ने इस निष्कर्ष की शुद्धता की बिना किसी चुनौती के कि वह चुनाव याचिका के साथ फॉर्म 25 में एक हलफनामा दायर करने में विफल रहे, चुनाव याचिका के साथ नए सिरे से शपथ पत्र दाखिल करने के परिणामी निर्देश का

पालन करने के लिए चुना । इसलिए, चुनाव याचिका को बाद के चरण में यह तर्क देने से रोक दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 25.08.2014 आदेश में द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष गलत है।

III.मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनाव याचिकाओं से संबंधित नियमों की नियम 6 (4) को आवश्यकता हैः

"अतिरिक्त पंजीयक या उप-पंजीयक याचिका और उसके साथ शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना पूरा हस्ताक्षर करेगा"।

और चुनाव याचिका के पृष्ठ संख्या394 और 395 में में शपथ पत्र पर उच्च न्यायालय के पंजीयक की मुहर और हस्ताक्षर नहीं हैं। जबकि चुनाव याचिका के अन्य सभी पृष्ठों पर पंजीयक की मुहर और हस्ताक्षर होते हैं। दिए गए शपथ पत्र पर केवल पृष्ठ संख्या 394-395 में मुहर और पंजीयक के हस्ताक्षर की अनुपस्थिति अनिवार्य रूप से एक निष्कर्ष की ओर ले जाना चाहिए कि इस तरह का एक हलफनामा चुनाव याचिका प्रस्तुत करने की तारीख के कुछ समय बाद चुनाव याचिका में डाला गया होगा। इस तरह के निष्कर्ष को इस तथ्य से और मजबूत किया जाएगा कि चुनाव याचिका के सूचकांक में, पृष्ठ संख्या394-395 में सूचकांक में प्रविष्टि No.57-A पर हलफनामे का संदर्भ दिया गया है। किया जाता है। उक्त प्रविष्टि एक अन्यथा पूरी तरह से टाइप किए गए सूचकांक में हस्तलेखन में की गई एक जोड़ है। इसलिए धारा 83 (1) के परंतुक में निहित जनादेश की आवश्यकता का गैर-अनुपालन है जो चुनाव याचिका को सीमित रूप से खारिज करने की गारंटी देता है।

36. उपरोक्त वापसी उम्मीदवार की प्रस्तुतियो पर निर्वाचन याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया इस प्रकार हैं:

(i) उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिकाकर्ता के विशिष्ट अनुरोध के बावजूद पृष्ठ संख्या394-395 में हलफनामे के अस्तित्व या अन्यथा या उक्त शपथ पत्र की सामग्री के संबंध में अपने दिनांक 25.08.2014 के आदेश में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया। उच्च न्यायालय ने केवल एक अस्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि चुनाव याचिकाकर्ता ने चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 94ए के अनुसार निर्धारित प्रपत्र 25 में हलफनामा दायर नहीं किया है। उक्त आदेश से यह स्पष्ट नहीं है कि दो हलफनामों में से कौन सा हलफनामा उच्च न्यायालय के दिमाग में था जब उसने ऐसा निष्कर्ष दर्ज किया था। उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाकर्ता के एक स्पष्ट उत्तर में विशिष्ट अभिवचन को देखते हुए स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करना चाहिए था कि चुनाव याचिकाकर्ता ने वास्तव में संतुष्ट करने के लिये धारा 83 (1) के परंतुक के तहत कानून की आवश्यकता को पूरा करने के लिये एक अलग हलफनामा दायर किया था जो पृष्ठ संख्या394-395 में पाया गया है। । इस तरह के किसी भी स्पष्ट निष्कर्ष के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांकित 29.09.2015 आदेश में दिनांकित 25.08.2014 आदेश में दर्ज निष्कर्ष पहले के दर्ज किए गए निष्कर्ष के साथ असंगत हैं।

(ii) कि निर्वाचन याचिकाकर्ता के लिए आदेश के अंतिम परिणाम के रूप में उक्त निष्कर्ष को चुनौती देने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि आदेश का अंतिम परिणाम उसके पक्ष में था। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि चुनाव याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.08.2014 के अपने आदेश में दर्ज निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी, जब और जैसे भी इस तरह के निष्कर्ष की उसके खिलाफ सेवा में मांग की जाती है तो चुनाव याचिकाकर्ता निष्कर्ष की शुद्धता पर विवाद करने का हकदार है।

(iii) उच्च न्यायालय के परिनामी निर्देशों का पालन करते हुए एक नया शपथ पत्र दाखिल करने के प्रश्न पर, निर्वाचन याचिकाकर्ता केर वकील ने प्रस्तुत किया कि इस तरह की प्रक्रिया उसके द्वारा बहुत सावधानी के साथ कार्रवाई की गई ।

(iv) निर्वाचन याचिकाकर्ता द्वारा पृष्ठ संख्या 394-395 में शपथ पत्र पर पंजीयक के हस्ताक्षर की अनुपस्थिति के लिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि यह उच्च न्यायालय के पंजीयक का कर्तव्य है कि वह चुनाव याचिका के प्रत्येक पृष्ठ पर और चुनाव याचिका के साथ दायर हलफनामे पर हस्ताक्षर करे, यदि पंजीयक अपने कर्तव्य में विफल रहा है तो चुनाव याचिकाकर्ता को यह निष्कर्ष निकाल कर दंडित नहीं किया जा सकता कि चुनाव याचिका के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस संबंध में, चुनाव याचिकाकर्ता ने कानून का तय सिद्धांत पर भरोसा किया कि अदालत का कार्य (जिसमें एक चूक शामिल है) किसी भी पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

37. हम निम्नलिखित कारण से वापस लिए गए उम्मीदवार की प्रस्तुतियों को अस्वीकार करते हैं:

(i) वापस लिए गए उम्मीदवार का पहला प्रस्तुतिकरण कि बाद का और विरोधाभासी निष्कर्ष कानूनी रूप से मान्य नहीं है, अगर यह किसी भी कानूनी सिद्धांत पर आधारित है, तो यह या तो न्यायिक सिद्धांत पर आधारित है या सार्वजनिक आधार पर इसके अनुरूप कुछ सिद्धांत पर आधारित है। नीति कि न्यायिक आदेशों की अंतिमता होनी चाहिए। भले ही रेस जुडिकाटा के सिद्धांत को लागू किया जाए, (हम इसकी प्रयोज्यता की जांच बिना ही केवल मान लेते हैं उसी की करना), सी. पी. सी. की धारा 11 के तहत जो वर्जित है वह एक ऐसे मुद्दे का निर्णय है जो सीधे और काफी हद तक समान

पक्षों के बीच एक पूर्व मुकदमे में जारी किया गया और सुना गया है और अंत में निर्णय लिया गया है।

(ii) यह प्रश्न कि क्या निर्वाचन याचिका के साथ दो शपथ पत्र भी दायर किए गए थे, सीधे तौर पर मुद्दा नहीं था क्योंकि चुनाव से लौते उम्मीदवार ने कभी भी प्रतुत्तर दाखिल नहीं किया था(चुनाव याचिकाकर्ता के जबाब में जिसमें कहा गया था कि वह चुनाव याचिका के साथ दो हलफनामे दायर किए थे)। आदेश VII नियम 11 के याचिका पर निर्णय लेने में उच्च न्यायालय ने कभी सवाल की जांच नहीं की (यह तथ्य का मुद्दा है) कि क्या दो हलफनामे थे जैसा कि चुनाव याचिकाकर्ता ने अपने उक्त याचिका के जवाब में अनुरोध किया था। हम पहले ही दर्ज कर चुके हैं कि आदेश VII नियम 11 याचिका में आदेश बहुत आकस्मिक है। यह न तो सनबंधित तथ्यों पर ध्यान देता है और न ही निर्नय लिये जाने वाले बिंदु की पहचान करता है। यदि पीडित व्यक्ति द्वारा इसके खिलाफ अपील की जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में अभिलिखित किसे भी तथ्य के निष्कर्ष को अलग रखा जाना आवश्यक है यदि ऐसा आदेश एक अपील योग्य आदेश है। चूंकि विद्वान न्यायाधीश ने आदेश VII नियम 11 याचिका को खारिज कर दिया हालांकि निष्कर्ष चुनाव याचिकाकर्ता के प्रतिकूल है, उसे अपील दायर करने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) इसलिए, हम इसके आधार पर कोई कानूनी सिद्धांत नहीं देखते हैं जिसे वापसी करने वाला उम्मीदवार सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकता है कि दिनांक 25.08.2014 के आदेश में दर्ज निष्कर्ष को देखते हुए उच्च न्यायालय 2015 का IA संख्या 11665 में निष्कर्ष दर्ज नहीं कर सकता था कि चुनाव याचिका के साथ दो हलफनामे दायर किए गए थे।

(iii) अब हम पृष्ठ संख्या 394 395 में शपथ पत्र पर उच्च न्यायालय के पंजीयक की मुहर और हस्ताक्षर की अनुपस्थिति के संबंध में वापसी उम्मीदवार की प्रस्तुति के बारे में बात करते हैं।

क) उच्च न्यायालय ने 2015 के आई. ए. स.11665 में अपने दिनांकित 29.9.2015 आदेश में एक निष्कर्ष दर्ज कियाः

> "24. ..... तथापि, पंजीयक ने नियम 8 के उप-नियम (4) के अनुपालन में चुनाव याचिका के प्रत्येक पृष्ठ और शपथ पत्र के पेज नं. 70 और 71 पर अपनी मुहर और हस्ताक्षर लगाए हैं। तथापि, पृष्ठ संख्या 394 & 395 में शपथ पत्र पर पंजीयक की ऐसी कोई मुहर या हस्ताक्षर नहीं होना पाया गया। ..... "

इसके अलावा, आदेश के पैरा 25 में, यह दर्ज किया गया हैः

"25. इस संबंध में, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी आधिकारिक कार्य ठीक से किए गए हैं। यह सच है कि पृष्ठ संख्या 394 & 395 पर शपथ पत्र में पंजीयक की मुहर या हस्ताक्षर नहीं हैं, हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि इसे पंजीयक द्वारा सील और हस्ताक्षरित नहीं किया गया था क्योंकि इसे लगभग याचिका के अंत में संलग्न किया गया था। चूंकि, नियमों के अनुसार, एक चुनाव याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों को पंजीयक द्वारा हस्ताक्षरित और सील करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सीरियल स. 72 से सीरियल स.393 तक याचिका के साथ दायर किए गए किसी भी दस्तावेज पर उनकी मुहर और हस्ताक्षर हैं। संभवतः, किसी ने भी पंजीयक को यह नहीं बताया कि पृष्ठ संख्या 394 में एक और हलफनामा है ; इसलिए, इसे अन्य दस्तावेजों की तरह सील और हस्ताक्षरित नहीं किया गया था।

ख) शुरुआत में, यह उल्लेख किया जा सकता है कि उपर्युक्त क्रम में एक मुद्रण संबंधी त्रुटि है। मामले से निपटने उच्च न्यायालय का प्रासंगिक नियम 6 (4) है लेकिन 8 (4) नहीं। नियम 6 इस प्रकार हैः

" अध्याय VI

चुनाव याचिकाओं से संबंधित नियम

नियम 6 (1) हर तरह से पूरी की गई प्रत्येक चुनाव याचिका को अदालत के समय के दौरान जबलपुर में अतिरिक्त पंजीयक या उप-पंजीयक न्यायिक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) चुनाव याचिका प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम, उस क्षमता के विवरण के साथ जिसमें वह इसे प्रस्तुत कर रहा है, प्रस्तुति की तारीख और समय और आवश्यक माने जाने वाले किसी भी अन्य विवरण का समर्थन याचिका के पहले पृष्ठ के मार्जिन में अतिरिक्त पंजीयक या उप-पंजीयक द्वारा उसके स्वयं के हस्ताक्षर सहित किया जाएगा।

(3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और इन नियमों की सभी आवश्यकताओं और उनका पालन का पता लगाने के लिए अतिरिक्त पंजीयक या उप-पंजीयक याचिका की जांच कराएगा।

(4) अतिरिक्त पंजीयक या उप-पंजीयक याचिका और उसके साथ शपथ पत्र के प्रत्येक प्रष्ठ पर अपना पूर्ण हस्ताक्षर करेगा।

(5) अतिरिक्त पंजीयक या उप पंजीयक, याचिका की जांच करने के बाद, प्रारंभिक आदेश पत्र पर निम्नलिखित में अपनी राय दर्ज करेंगे:

" प्रस्तुत किया... द्वारा..... उचित रूप से..... किया गया है।"

जाहिरा तौर पर समय के भीतर तैयार किया गया और ठीक से मुहर लगाई गई।

उप-नियम (4) से यह देखा जा सकता है कि संबंधित पंजीयक याचिका के प्रत्येक पृष्ठ और उसके साथ दिए गए शपथ पत्र पर अपने पूर्ण हस्ताक्षर करता है।

ग) उप-नियम (4) की आवश्यकता का पालन करने में पंजीयक की विफलता को उच्च न्यायालय द्वारा को यह कहते हुए समझाने की मांग की गई है कि ऐसी चूक शायद इसलिए हुई क्योंकि किसी ने पंजीयक को पृष्ठ नं. 394-395 पर शपथ पत्र के अस्तित्व के संबंध में नहीं बताया था। हमारा मानना है कि इस तरह का निष्कर्ष मान्य नहीं है। नियम 6 (4) निर्वाचन याचिका के प्रत्येक पृष्ठ और चुनाव याचिका के साथ दाखिल किए गए शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए पंजीयक पर एक अनिवार्य कर्तव्य डालता है। इस तरह के अनिवार्य कर्तव्य का पालन इस तथ्य की परवाह किए बिना किया जाना चाहिए कि कोई हलफनामे के अस्तित्व के बारे में पंजीयक को बताता है या नहीं।

घ) यदि चुनाव याचिका के पृष्ठ संख्या 394-395 में दूसरे शपथ पत्र का अस्तित्व विवाद में नहीं है,लेकिन सवाल यह है कि क्या पंजीयक द्वारा नियम का पालन न करना चुनाव याचिका के लिए घातक है, शायद इसका उत्तर यह होगा कि "ऐसा नहीं है"। क्योंकि यह कानून का तय प्रस्ताव है कि न्यायालय के कार्य या चूक किसी भी पक्ष को नुकसान नहीं पहुँचाएगी।

ई) लेकिन जब सवाल यह है कि क्या ऐसा हलफनामा 20.01.2014 पर चुनाव याचिका के साथ दायर किया गया था, तो अलग विचार उत्पन्न होते हैं। यह सवाल कि क्या चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा दूसरा हलफनामा दाखिल किया गया तथ्य का एक शुद्ध प्रश्न है। कानून में इस तरह के तथ्य को साबित करने का भार चुनाव याचिकाकर्ता पर है यदि ऐसा प्रश्न वास्तव में मुद्दे में है। क्योंकि यदि वह विफल हो जाता है, तो प्रपत्र 25 में शपथ पत्र की अनुपस्थिति के अभाव में वापस लिए गए उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट

आचरन के आरोप में निर्णय नहीं लिया जा सकता है। लेकिन इस तरह का सवाल आदेश VII नियम 11 याचिका में कभी मुद्दा नहीं था।

38. जैसा कि पहले ही पैरा 10 (उपर्युक्त) में निर्वाचन याचिका की कार्यवाही के दौरान जल्द से जल्द देखा गया है जब यह सवाल उठा कि क्या फॉर्म 25 में एक हलफनामा दायर किया गया था या नहीं, चुनाव याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से यह रुख अपनाया कि पृष्ठ संख्या 394 और 395 में एक शपथ पत्र किया गया था। उनके अनुसार, उक्त शपथ पत्र धारा 83 (1) के प्रावधान में अनुध्यात प्रपत्र 25 में है। वापसी करने वाले उम्मीदवार ने आदेश VII नियम 11 याचिका में निर्वाचन याचिकाकर्ता के दिनांक 11.7.2014 के जवाब में लिए गए उपरोक्त रुख के लिए एक प्रत्युत्तर दाखिल करके (चुनाव याचिकाकर्ता के) बयान पर कभी भी विवाद नहीं किया। वापसी उम्मीदवार स्वीकार करता है कि कम से कम 18.6.2014-जिस तारीख को उसे समन प्राप्त हुआ था, उस तारीख तक चुनाव याचिका की एक प्रति, चुनाव याचिका पृष्ठ स. 394 और 395 पर हलफनामे सहित अनुलग्नक के साथ अभिलेख पर उपलब्ध थी। लेकिन अब उनका मामला यह है कि इस तरह का हलफनामा सीमा अवधि के भीतर चुनाव याचिका के साथ दायर नहीं किया गया था, लेकिन 22.1.2014)वह तारीख जिस पर सीमावधि समाप्त हुई थी) के बीच किसी भी अंतरालावधि में चुनाव याचिका में डाला गया होगा चुनाव यचिका दायर करने की तिथि समाप्त हो गई।

39. लेकिन आदेश VII नियम 11 याचिका में वापस लिए गए उम्मीदवार की आपत्ति केवल यह थी कि "याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के साथ शपथ लिया गया और दायर किया गया हलफनामा आचरण नियम, 1961 के फॉर्म 25 के अनुरूप नहीं है"। आदेश VII नियम 11 याचिका की भाषा से, यह स्पष्ट है कि वापस लिए गए उम्मीदवार की आपत्ति केवल शपथ-पत्र का प्रारूप और विषय-वस्तु से संबंधित है, लेकिन शपथ-पत्र दाखिल करने की तारीख के संबंध में नहीं, दूसरी ओर, "साथ" अभिव्यक्ति का प्रयोग

स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वापस किया गया उम्मीदवार भी उस समय स्वीकार किया कि पृष्ठ संख्या 394-395 में शपथ पत्र उसी तारीख यानी 20.1.2014 पर प्रस्तुत किया गया था। इसलिए, उस तथ्य के प्रमाण का सवाल जो कभी जारी नहीं किया गया था, सबूत के बोझ के सवाल से बहुत कम नहीं है।

40. यह तथ्य कि चुनाव याचिकाकर्ता ने दिनांकित 25.8.2014 के आदेश के अनुसार एक और हलफनामा दायर करने का विकल्प चुना एक और परिस्थिति है जिस पर वापसी करने वाले द्वारा भरोसा करने की मांग की गई है उम्मीदवार ने अपनी इस दलील के समर्थन में कहा कि चुनाव याचिका के साथ कोई दूसरा हलफनामा दायर नहीं किया गया था।

41. हमारी राय है कि मामले की परिस्थितियों में, वापस लिए गए उम्मीदवार द्वारा सुझाए गए निष्कर्ष के रूप में नहीं निकाला जा सकता क्योंकि चुनाव याचिकाकर्ता ने आदेश VII नियम 11 याचिका के अपने जवाब में (विशेष रूप से यह कहते हुए कि उसने चुनाव याचिका के साथ फॉर्म 25 में एक हलफनामा दायर किया था) बहुत सावधानी के साथ रुख अपनाया कि यदि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उसका हलफनामा किसी भी कारण से दोषपूर्ण पाया जाता है, तो वह दोष को ठीक करने के लिए आगे का शपथ पत्र दाखिल करने को तैयार है। दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने इस सवाल की जांच किए बिना एक शॉर्टकट लिया कि क्या पृष्ठ संख्या394-395 में हलफनामा प्रपत्र 25 की आवश्यकता को पूरा करता है और (उस संबंध में एक निश्चित निष्कर्ष दर्ज किए बिना) केवल एक निष्कर्ष दर्ज करता है कि दोष ठीक किया जा सकता है और प्रपत्र 25 में एक शपथ पत्र दाखिल करके इसे ठीक किया जा सकता है।

42. श्री पी. पी. राव, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि चुनाव याचिकाकर्ता ने एक और हलफनामा दायर करके याचिका में आदेश VII नियम 11 का

लाभ उठाया है, अब इस निष्कर्ष की शुद्धता पर सवाल नहीं उठा सकती है कि उसने एक हलफनामा दायर नहीं किया था जो कि धारा 83 (1) के परंतुक का अनुपालन है। उक्त निवेदन के समर्थन में, श्री पी. पी. राव ने दो निर्णयों पर भरोसा किया अर्थात पंजाब राज्य और अन्य बनाम कृष्ण निवास, (1997) 9 एस. सी. सी. 31 और बांकू चंद्र बोस और एक अन्य बनाम मरियम बेगम और एक अन्य, ए. आई. आर. 1917 कैल. 546।

43. हमारी राय में, उक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत वर्तमान विवाद के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है । वर्तमान विवाद एक तथ्य के अस्तित्व के बारे में है जो आदेश VII नियम 11 में कभी भी मुद्दे में नहीं था। लौटाया उम्मीदवार अपने मामले को एक स्टेज से स्टेज तक। स्थानांतरित नहीं कर सकता है अब उन्हें एक उचित अभिवचन के अभाव में तथ्य का ऐसा प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और यह तर्क दिया जा सकता है कि चुनाव याचिकाकर्ता को यह तर्क देने से रोका जा सकता है कि उन्होंने चुनाव याचिका के साथ दूसरा हलफनामा दायर किया था।

44. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, 2015 के एस. एल. पी. (सिविल) स. 31051 से उत्पन्न होने वाली दीवानी अपील के बिना किसी गुण के होने को खारिज कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप, 2014 की एस. एल. पी. (सिविल) स. 33933 और 2015 के 11096 से उत्पन्न होने वाली दीवानी अपीलों को भी खारिज किया जाना आवश्यक है और वे तदनुसार बर्खास्त कर दी जाती हैं।

45. 2015 के एस.एल.पी. (सिविल) स.15361 से उत्पन्न सिविल अपील मामले पर आते हुए, 2015 के एस.एल.पी. (सिविल) स. 3105 को फाइनल में खारिज करने के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा आई. ए. स. 11665 में अभिलिखित निश्कर्षों ऐसा ही होना आवश्यक है। तदनुसार भी ऐसा ही अनुमत है।

46. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

कल्पना के. त्रिपाठी अपीलें निस्तारित की जाती हैं

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता बृजेश कुमार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिएए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।